Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मांगीलाल वगैराह बनाम **चॉदीबाई**

किस्म मुकदमा **अपील** नं0 **028** सन **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.02.2022	उभयपक्ष अधिवक्ता के निवेदन पर पत्रावली को सुनवाई हेतु रखा गया। वकील अपीलार्थी दिलीप जैन हाजिर। प्रत्यर्थी की और से पूर्व में अधिवक्ता दिनेश दायमा ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर। उप–पंजीयक डूंगला ने पत्रांक/पंजीयन/2022/10 दिनांक 11.01.2022 से मूल अभिलेख प्रेषित किया जो शामिल पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया जाता है। अपीलार्थीगण हाजिर। हाजिर अपीलार्थीगण को पहचान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा की गई। प्रत्यर्थी हाजिर। हाजिर प्रत्यर्थी की पहचान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली रहें। रिकार्ड पर लिया जाता है। उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि प्रकरण में पक्षकारान में राजीनाम हो चुका है। राजीनाम की छायाप्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली रहें। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। उभयपक्षकारान में राजीनामा हो चुका है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी अपनी अपील नहीं चलाना चाहते है। अतः अपील अपीलार्थी विड्रोल किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपील अपीलार्थी विड्रोल में खारीज की जाती है। अधीनस्थ उप–पंजीयक डूंगला के प्राप्त अभिलेख को मय अहकाम की प्रति के लौटाया जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश सुनाया गया। -S/D- (अरविन्द कुमार पोसवाल) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 23.02.2022 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	